रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249014
CG-DL-E-27092023-249014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945
No. 667] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ASVINA 4, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2023

फा. सं. A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)) की धारा 54 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 के विनियम 11, उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा, नामत:-

''बशर्ते कि उपमहानिदेशक के चार पदों और निदेशक के दो पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा तथा केंद्रीय स्टाफिंग योजना की प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय स्टाफिंग योजना में जुड़े केंद्र सरकार के समूह 'क' सेवाओं से प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पर भरा जाएगा, और इस प्रकार भरे गये पदों के संबंध में चयन समिति की भर्ती विधि लागू नहीं होगी।''

अमित अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./449/2023-24]

टिप्पणी- मूल विनियम यथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 21 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्या 01) के माध्यम से प्रकाशित किया गया तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए अनुवर्ती संशोधन किए गए, नामत:-

(i) अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2021 का संख्या 3) दिनांक 27 दिसंबर, 2021;

(ii) अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्या 3) दिनांक 21 मार्च, 2022; तथा

(iii) अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्या 5) दिनांक 18 जुलाई, 2022.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2023

F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, in regulation 11, in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that up to four posts of Deputy Director General and up to two posts of Director may be filled by appointment of officers posted by the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training on tenure deputation from the all-India Services and the Group 'A' Services of the Central Government participating in the Central Staffing Scheme operated by the said Department, by adopting the Central Staffing Scheme procedure, and for the posts so filled the recruitment method of Selection Committee shall not apply.".

AMIT AGRAWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./449/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 1 of 2020), dated the 21st January, 2020 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

(i) Notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 3 of 2021), dated the 27th December, 2021;

(ii) Notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 3 of 2022), dated the 21st March, 2022; and

(iii) Notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 5 of 2022), dated the 18th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA